न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 04/2023
GCMS NO. : 2023/8

–: वादिया :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1.चम्पादेवी पत्नी स्व0 देवाराम जाति सीरवी, निवासी बेरा भागोडी, ग्राम कारोलिया, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.10/01/2023

उपस्थितः– 1. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता वादिया।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 04/01/2024

वकील मय वादिया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादिया की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम कारोलिया, पटवार हल्का बिरोल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 32 रकबा 2.3634 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.1457 हैक्टयर गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 34 रकबा 5.2933 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम की कृषि भूमि आई हुई है जिस पर वादिया मौके पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक–हिस्से अनुसार काबिज काश्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में वादिया के ससुर स्वर्गीय जोगाराम पुत्र रायचन्द के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी तथा वादिया के ससुर जोगाराम का देहान्त हुआ उस समय भूल व गलती से वादिया का नाम पूनम पत्नी देवाराम के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादिया का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम चम्पादेवी पत्नी देवाराम है, जो वादिया के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में भी वादिया का नाम चम्पादेवी पत्नी देवाराम दर्ज है। जो वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार वर्णित नामान्तरकरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है, जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चली आ रही है। वादिया को उक्त भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता होने पर वादिया ने दिनाँक 28/11/2022 को पटवारी हल्का से राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त की तब उक्त रोंग एन्ट्री की जानकारी होने पर अप्रार्थी से उक्त रोंग एन्ट्री को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरूस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

वादिया की कब्जा सुदा खातेदारी सम्पत्ति मे उक्त रांग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादिया का नाम जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड में वादिया अपना सही एवं वास्तविक तथा दस्तोवजी नाम चम्पादेवी पत्नी देवाराम से दर्ज करवाने एवं इन्द्राज करवाने की अधिकारी वादिया होने से उक्त वादपत्र घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादिया को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रही है न ही ऋण आदि व किसान कार्ड आदि बन रहा है तथा वादिया को भारी समस्याओं एवं दिक्कतो का सामना करना पड रहा है। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वाद पत्र के साथ पेश है। उक्त भूमि के सहखातेदार काश्तकारान के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इस कारण से उन्हे प्रतिवादी पक्षकार नहीं बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 28/11/2022 को अप्रार्थी से सम्पर्क करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम कारोलिया, तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद पेश है।

इस पर वादिया का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वर्तमान जमाबन्दी 2076-2079 (स्थायी) के अनुसार ग्राम कारोलिया के खसरा संख्या 32, 33, 34 में पूनम पत्नी देवाराम सह-खातेदार दर्ज है। वादिया द्वारा प्रस्तुत ग्राम कारोलिया के नामान्तरकरण संख्या 208 खातेदार जोगाराम पुत्र रामचन्द की विरासत से पूनम पत्नी देवाराम अन्य वारीसान के साथ दर्ज किया गया। वादिया द्वारा प्रस्तुत मतदाता पहचान-पत्र में नाम चम्पादेवी पत्नी देवाराम अंकित है। पूनम पत्नी देवाराम का अंकन नामान्तरकरण संख्या 208 से प्रविष्ठ हुआ है। वादिया इस अंकन के स्थान पर चम्पादेवी पत्नी देवाराम दर्ज करवाना चाहती है। जो माननीय न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार है। जवाब देहान्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील वादिया ने वाद के समर्थन में वादिया चम्पादेवी पत्नी स्व0 देवाराम एवं अन्य गवाह हनुमान सिंह पुत्र धुलाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गए, जो शा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

हमने प्रकरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. वादिया द्वारा वादपत्र में यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कारोलिया, पटवार हल्का बिरोल, भू-अभिलेख निरीक्षक जैतारण, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 32 रकबा 2.3634 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.1457 हैक्टयर गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 34 रकबा 5.2933 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादिया का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

फौतेदगी म्युटेशन के समय चम्पादेवी पत्नी देवाराम की जगह पूनम पत्नी देवाराम दर्ज कर दिया जिसे संशोधित करते हुए इस आशय की घोषणा की जाए।

2. वादिया द्वारा साक्ष्य में स्वयं का शपथ–पत्र P/W 01 प्रस्तुत करते हुए सशपथ कथन किया कि ''उक्त सम्पत्ति मुझ वादिया के ससुर स्व0 जोगाराम पुत्र रायचन्द्र के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी तथा मुझ वादिया के ससुर जोगाराम का देहान्त हुआ उस समय भूल व गलती से मुझ वादिया का नाम पूनम पत्नी देवाराम के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि मुझ वादिया का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम चम्पादेवी पत्नी देवाराम है।'' अन्य गवाह हनुमान सिंह पुत्र धुलाराम का शपथ–पत्र P/W 02 प्रस्तुत करते हुए सशपथ कथन किया कि ''वादिया चम्पादेवी मुझ शपथकर्ता की जायन्दा पुत्री है। मेरी पुत्री वादिया का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम चम्पादेवी पत्नी देवाराम है।''

3. वाद के समर्थन में दस्तावेज यथा जमाबंदी संवत् 2076–2079 (प्रदर्श–3), वादिया के राशन कार्ड की प्रतिलिपि (प्रदर्श–2ए), नामान्तरकरण संख्या 208 की प्रतिलिपि (प्रदर्श–4), वादिया चम्पादेवी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र (प्रदर्श–5ए), आधार कार्ड की प्रति (प्रदर्श–6ए), जन आधार कार्ड की प्रतिलिपि (प्रदर्श–7ए),पेन कार्ड की प्रतिलिपि (प्रदर्श–8ए) एवं बैंक डायरी व देवाराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत किये गए। जमाबंदी में पूनम पत्नी देवाराम के नाम का इन्द्राज है एवं वादिया के अन्य सभी दस्तावेजो में चम्पादेवी पत्नी देवाराम के नाम की प्रविष्ठि है।

4. तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि पूनम पत्नी देवाराम का अंकन नामान्तरकरण संख्या 208 से प्रविष्ठ हुआ है। वादिया इस अंकन के स्थान पर चम्पादेवी पत्नी देवाराम दर्ज करवाना चाहती है। जो माननीय न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार है। जवाब देहान्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

5. वादिया द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड एवं जन आधार कार्ड से स्पष्ट है कि वादिया का सही व दस्तावेजी नाम चम्पादेवी पत्नी देवाराम है एवं तहसीलदार जैतारण की मौका फर्द अनुसार भी पूनम पत्नी देवाराम का अंकन नामान्तरकरण संख्या 208 से प्रविष्ठ हुआ है। वादिया इस अंकन के स्थान पर चम्पादेवी पत्नी देवाराम दर्ज करवाना चाहती है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादिया के शपथ–पत्र एवं गवाह स्वयं चम्पादेवी पत्नी देवाराम एवं अन्य गवाह हनुमान सिंह पुत्र धुलाराम का शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 32 रकबा 2.3634 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.1457 हैक्टयर गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 34 रकबा 5.2933 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम ग्राम कारोलिया, पटवार हल्का बिरोल के भू–अभिलेख में दर्ज वादिया के नाम की प्रविष्टि पूनम पत्नी [illegible] दर्ज है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि 'पूनम पत्नी [illegible]' है वहाँ उसके स्थान पर 'चम्पादेवी पत्नी देवाराम' दर्ज किया जाना उचित [illegible] होता है। अतः वाद वादिया स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि स[illegible] होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण(

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादिया अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम कारोलिया, पट्वार हल्का बिरोल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 32 रकबा 2.3634 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.1457 हैक्टयर गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 34 रकबा 5.2933 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम के **भू–अभिलेख में** वादिया का नाम ***पूनम पत्नी देवाराम*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'चम्पादेवी पत्नी देवाराम'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 04/01/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखर्ण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें हुक्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादिया :-	बनाम	-: प्रतिवादी :-
1. चम्पादेवी पत्नी स्व0 देवाराम जाति सीरवी, निवासी बेरा भागोडी, ग्राम कारोलिया, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान।

मु0न0 :रा0वा0स0- 04/2023

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, वादिया मिनजानिब मुद्दई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम कारोलिया, पटवार हल्का बिरोल, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 32 रकबा 2.3634 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.1457 हैक्टयर गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 34 रकबा 5. 2933 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम के **भू-अभिलेख में** वादिया का नाम ***पूनम पत्नी देवाराम*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'चम्पादेवी पत्नी देवाराम'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/01/2024 को जारी किया गया।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	2.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	5.00	फीस	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुतफरिक	0.00
मिजानः-	9.00	मिजान	0.00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested